फारम-VIII- क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 112 तिथि- 14.10.2022 के संदर्भ में

मेसर्स आरोही होम्स प्रा0 लि0, निर्देशक-श्री राजेश राज, पिता-स्व0 ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा, श्री गिरिशान्त विष्ट, पिता-स्व0 डॉ0 रूपेन्द्र प्रसाद एवं राकेश कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पता-फ्लैट नं0-206, द्वितीय तल, जगमानों अपार्टमेन्ट, पीलर नं0-33 के सामने, नियर आशियाना मोड़, पटना। पत्रालय-बी.भी. कॉलेज, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना-800014

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद दानापुर निजामत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 112...**प्लौट नं0- 559, 560, 140, 561, 564, 563, 562 एवं 564, खाता नं0- 201, 133, 114, 170, 194 एवं 142, तौजी नं0- 5854 एवं 5853, थाना नं0-17, मौजा-सिकन्दरपुर, पता-थाना-दानापुर, जिला-पटना** के बावत निम्नलिखित शर्तों / निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.177..... **/22-23** है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल-Block A-9095.24 m2 & Block E-15682.46 m2, Total B/u Area (A+E)=24,777.70 m2 & Block F (EWS/LIG)- 3747.45 वर्ग मीटर** एवं **Block A- LB+UB+G+13 & Block E-LB+UB+G+14 & Block F (EWS/LIG)- G+10** की स्वीकृति दी जातीहैः-

(क) भूमि / भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय -सह- व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार कियाजाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **5763.26** वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत **24.39 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़कको मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना / आयोजन प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र (पटना महायोजना 2031) में **113.96 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बावत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार / हक / हित की बावत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य मे इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) **रैन वाटर हारर्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे** का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।

(थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भुगतान आपके द्वारा देय होगा।

(द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।

(ध) भविष्य में न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा रास्ता छोड़ने हेतु आदेश पारित किया जाता है तो आप आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

(थ) अन्य शर्त (HGT का NOC प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा)

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः-...177...../दिनांकः-..31/03/2023

प्रतिलिपिः- मेसर्स आरोही होम्स प्रा0 लि0, निर्देशक-श्री राजेश राज, पिता-स्व0 ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा, श्री गिरिशान्त दित्त, पिता-स्व0 डॉ0 रूपेन्द्र प्रसाद एवं राकेश कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पता-फ्लैट नं0-206, द्वितीय तल, जगमाता अपार्टमेन्ट, पीलर नं0-33 के सामने, नियर आशियाना मोड़, पटना। पत्रालय-बी.भी. कॉलेज, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना-800014, मो0 नं0-7463842180 को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत